



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231155  
CG-DL-E-15112021-231155

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943

No. 338]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

सं. 37 / 2015—2020

**विषय :** रेडियोएक्टिव संदूषण के संबंध में धात्विक स्क्रेप की आयातित खेपों की यादृच्छिक आधार पर जांच करने हेतु मानक संचाल प्रक्रिया (एसओपी)

फा. सं. 01/89/180/विविध 65/एएम-05/पीसी-2(ख)/ई-2084.—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा रेडियोएक्टिव संदूषण के संबंध में धात्विक स्क्रेप की आयातित खेपों की यादृच्छिक आधार पर जांच हेतु इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा संलग्न मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अधिसूचित करते हैं।

2 यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

रेडियोएक्टिव संदूषण के संबंध में धात्विक स्क्रेप की आयातित खेपों की यादृच्छिक जांच हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## अनुलग्नक

रेडियोएक्टिव संदूषण के संबंध में आयातित धात्विक स्क्रेप की खेपों की यादृच्छिक आधार पर जांच करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015-20 दिनांक: 15 नवम्बर, 2021)

रेडियोएक्टिव संदूषण के संबंध में धात्विक स्क्रेप की खेपों की आयातित यादृच्छिक आधार पर जांच करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

1. सार्वजनिक सूचना सं. 23 दिनांक 30 जून, 2015 के उल्लिखित प्रावधानों के अधीन किसी कंटेनर को पूर्व पोतलदान निरीक्षण अधिकरण (पीएसआईए) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बिना माल उतारने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा तथा इसे उदगम-देश को वापस भेजा जाना चाहिए।
2. स्क्रेप के उदगम स्थान तथा पीएसआईए द्वारा जारी संबद्ध प्रमाण-पत्र की जांच करें। पीएसआईए की प्रमाणिकता की समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट और आयात/निर्यात प्रपत्र के अनुसार परिशिष्ट-2छ (<https://content.dgft.gov.in/Website/APPEndIX-2G.pdf>) में दी गई सूची से जांच की जानी चाहिए।
3. कंटेनर (कंटेनरों) आन बोर्ड, पत्तन परिसर, कंटेनर माल ढुलाई स्थान (सीएफएस) अथवा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) पर उपलब्ध/मौजूद हो सकते हैं।
4. भारतीय सीमा शुल्क विभाग की सामान्य कार्य प्रवृत्ति के भाग के रूप में विभिन्न कार्यकलाप जैसे मोहर, कंटेनर के क्रम सं., सामग्री विवरण इत्यादि की जांच मेनिफेस्ट में दी गई सूची के अनुसार की जानी चाहिए।
5. यदि उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित शर्तें संतोषजनक पाई जाती हैं तो आयातक (खरीदार) और निर्यातक (विदेश से) के बीच हुए समझौते की प्रति की जांच की जाए कि खेप में रेडियोएक्टिव सामग्री मौजूद नहीं है।
6. कंटेनर को रखे जाने वाले स्थान पर बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर का मापन किया जाए। यह ध्यान में रखा जाए कि बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील होता है तथा इसकी सामान्यतः रैंज 0.04  $\mu\text{Sv/h}$  से 0.1  $\mu\text{Sv/h}$  (माइक्रो सीवर्ट प्रति घंटा) होती है। तथापि, विश्व के कुछ क्षेत्रों में बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर 0.1  $\mu\text{Sv/h}$  से अधिक हो सकता है।
7. कंटेनर की सतह पर रेडिएशन स्तर को हस्त प्रचालित रेडिएशन मानीटर द्वारा पूर्व निर्धारित अलार्म स्तर के साथ मापा जाए। मापन के स्थान पर पूर्व निर्धारित अलार्म स्तर बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर से 0.2  $\mu\text{Sv/h}$  ऊपर होना चाहिए। मापा गया रेडिएशन स्तर पूर्व निर्धारित अलार्म स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. साथ ही मापित रेडिएशन स्तरों की पीएसआईए द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्व:घोषणा सह कानूनी वचनबद्धता (डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-2020 दिनांक 30.06.2015 के अनुसार) में उल्लिखित विवरण के साथ जांच करें। यदि रेडिएशन स्तर अस्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं तो डीजीएफटी को सूचित करें।
9. यदि किसी कंटेनर में पूर्व निर्धारित अलार्म स्तर से अधिक रेडिएशन स्तर पाया जाता है तो इसकी तुरंत एक आईसोटोप आईडेंटिफायर (एक हस्त प्रचालित आरडीई जिससे रेडिएशन छोड़ने वाले विशिष्ट रेडियोन्यूक्लाइड की पहचान की जा सकती है) से रेडिएशन के स्रोत की पहचान की जानी चाहिए।
10. यदि रेडिएशन के स्रोत की पहचान एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न रेडियोएक्टिव सामग्री (एनओआरएम) के रूप में की जाती है तो कंटेनर को साफ समझा जा सकता है और यह मापन/निगरानी क्षेत्र से आगे भेजने के लिए मुक्त होगा।
11. यदि रेडिएशन के स्रोत की पहचान एनओआरएम के अतिरिक्त रेडियोन्यूक्लाइड के रूप में की जाती है, तो आगे की कार्रवाई के लिए इसकी सूचना तुरंत निम्नलिखित को दी जानी चाहिए:

आपातकालीन नियंत्रण कक्ष,

संकट प्रबंधन समूह

परमाणु ऊर्जा विभाग (सीएमजी-डीई)

मुंबई -400001

फोन: + 91-22-22023978 / 22021714, फैक्स: + 91-22-22021714

मोबाइल: + 919969201364

ईमेल: daecr@dae.gov.in

12. कंटेनर की निगरानी की रिपोर्ट प्रेषित करते समय, इसमें आवश्यक रूप से निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

क) निरीक्षण की तिथि:

ख) निरीक्षण का स्थान:

ग) उपयोग किए गए विकिरण सर्वेक्षण मीटर का विवरण:

- |      |                          |       |
|------|--------------------------|-------|
| i.   | मेक                      | ..... |
| ii.  | मॉडल                     | ..... |
| iii. | क्रमांक                  | ..... |
| iv.  | कैलीब्रेशन की अंतिम तिथि | ..... |

घ) माप के स्थान पर देखे गए बैकग्राउण्ड रेडिएशन स्तरों की रेंज .....  $\mu\text{Sv/h}$  से .....  $\mu\text{Sv/h}$ ।

ड) कंटेनर की सतह के आसपास देखे गए रेडिएशन स्तरों की रेंज:

i) किनारे की दीवारों के आसपास...  $\mu\text{Sv/h}$  से.....  $\mu\text{Sv/h}$ ।

ii) शीर्ष पर .....  $\mu\text{Sv/h}$  से .....  $\mu\text{Sv/h}$ ।

13 एक बार जब यह पाया जाता है कि एक कंटेनर के बाहर विकिरण का स्तर पूर्व निर्धारित अलार्म स्तर (बैकग्राउंड विकिरण स्तर  $0.2 \mu\text{Sv/h}$ ) से अधिक है, तो कंटेनर को कम ऑक्यूपाईड एरिया में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और कंटेनर को चारों ओर घेर लिया जाना चाहिए। घेरों में विकिरण का स्तर  $1 \mu\text{Sv/h}$  से अधिक नहीं होना चाहिए। "माल का संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कंटेनरों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है और उन्हें घेरने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। स्थानांतरण और अलग भंडारण गतिविधि में शामिल खर्च आयातक / माल के मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वहन किया जाएगा जिनके न होना पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 30 के अनुसार अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पोत के प्रभारी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खर्च का वहन किया जाएगा।

14. "माल के आयातक/मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संदूषित घात्विक स्क्रेप वाले कंटेनर के प्रत्यावर्तन/निर्वासन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिसमें विफल रहने पर, पोत के प्रभारी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 के अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट किया जाए, ऐसे कंटेनर को प्रत्यावर्तित/निर्वासित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 15th November, 2021

**No. 37/2015-2020**

**Subject : Standard Operating Procedures (SOP) for random checking of imported consignments of metal scrap with respect to radioactive contamination.**

**F. No. 01/89/180/Misc.65/AM-05/ PC-2(B)/e-2084.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby notifies the Standard Operating Procedures (SOP) for random checking of imported consignments of metal scrap with respect to radioactive contamination as enclosed in the Annexure to this Public Notice.

2. This shall come into force with immediate effect.

3. **Effect of Public Notice:**

The Standard Operating Procedure (SOP) for random checking of imported consignments of metal scrap with respect to radioactive contamination is notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex- officio Addl. Secy.

**Annexure****STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) FOR RANDOM CHECKING OF IMPORTED CONSIGNMENTS OF METAL SCRAP WITH RESPECT TO RADIOACTIVE CONTAMINATION [DGFT Public Notice No. 37/2015-20 dated 15 November, 2021]**

The SOP for random checking of imported consignments of metal scrap with respect to radioactive contamination shall be as under :

1. No container without a certificate issued by a Pre-Shipment Inspection Agency (PSIA), should be allowed to be unloaded and be sent back to country of origin subject to provisions contained in Public Notice No.23 dated 30<sup>th</sup> June, 2015.
2. Check the origin of the scrap and associated Certificate issued by the PSIA. The authenticity of PSIA should be verified from the list given in Appendix – 2G (<https://content.dgft.gov.in/Website/APPEndIX-2G.pdf>), as amended from time to time, in Appendices and Aayat / Niryat Forms of FTP 2015-20.
3. The container(s) may be available / present on board, in port premises, at Container Freight Station (CFS) or at Inland Container Depot (ICD).
4. As a part of normal work practice of Indian Customs, various activities like checking of the seal, serial number of the container, material description etc, as list in the manifest should be carried out.
5. If the conditions mentioned at Para 2 above, are found to be satisfactory, check for copy of agreement between importer (purchaser) and exporter (from foreign country) that the consignment does not contain radioactive material.
6. Measure the background radiation levels at the location where the container is placed. It should be kept in mind that the background radiation level varies from place to place and it normally ranges from 0.04  $\mu\text{Sv/h}$  to 0.1  $\mu\text{Sv/h}$  (micro Sievert per hour). However, the background radiation levels at certain regions of the world may be more than 0.1  $\mu\text{Sv/h}$ .
7. Measure the radiation levels on the surface of the container by using the hand held radiation monitor, with a preset alarm level. The preset alarm level should be 0.2  $\mu\text{Sv/h}$  above background radiation level at the location of measurement. The measured radiation levels should not exceed the preset alarm level.
8. Also, verify the measured radiation levels with that mentioned in the certificate issued by PSIA or Self Declaration cum Legal Undertaking (as per DGFT Public Notice No.23/2015-2020 dated 30.06.2015). If the radiation levels are mentioned in an ambiguous manner, then inform DGFT.
9. In case any container is found showing radiation levels exceeding the preset alarm level, it should be immediately subjected to identification of source of radiation with an Isotope Identifier (a handheld RDE can identify the specific radionuclide emitting the radiation).
10. If the source of radiation is identified as a Naturally Occurring Radioactive Material (NORM), the container may be considered as clean, and free to depart the measurement / monitoring area.
11. If the source of radiation is identified as a radionuclide other than NORM, it should be immediately intimated to the following for further course of action:

Emergency Control Room,

Crisis Management Group

Department of Atomic Energy (CMG – DAE)

Mumbai – 400001

Phone: +91-22-22023978 / 22021714, FAX : +91-22-22021714

Mobile: +919969201364

Email: daeocr@dae.gov.in

12. While transmitting the report of monitoring of the container, it must contain the following details:
- a. Date of inspection:
  - b. Place of inspection:
  - c. Details of radiation survey meter used:
    - i. Make.....
    - ii. Model.....
    - iii. Sr. No.....
    - iv. Last date of calibration.....
  - d. Range of background radiation levels observed at the location of measurement  
..... $\mu\text{Sv/h}$  to..... $\mu\text{Sv/h}$ .
  - e. Range of radiation levels observed around the surface of the container:
    - i. Around the side walls..... $\mu\text{Sv/h}$  to.....  $\mu\text{Sv/h}$ .
    - ii. On the top ..... $\mu\text{Sv/h}$  to ..... $\mu\text{Sv/h}$ .
13. Once it is found that the radiation levels outside a container exceed the preset alarm level (background radiation level +0.2  $\mu\text{Sv/h}$ ), the container should be relocated to a less occupied area and cordoned off around the container. The radiation level at the cordon should not be more than 1  $\mu\text{Sv/h}$ . *“The Custodian of the goods shall ensure that there is a specifically demarcated area for relocation of such containers and necessary arrangements are in place for cordoning off. The expenses involved in the relocation and separate storage activity shall be borne by the importer / owner of the goods or their authorized representative, failing which, the person-in-charge of the vessel or any other person as may be specified by the Central Government, by notification in terms of Section 30 of the Customs Act, 1962 shall bear the expenses”.*
14. Necessary steps shall be initiated for repatriation / deportation of the container having contaminated metal scrap by *“the importer / owner of the goods or their authorized representative, failing which, the person-in-charge of the vessel or any other person as may be specified by the Central Government, by notification in terms of Section 30 of the Customs Act, 1962 shall take action to repatriate / deport such container”.*